कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 2738/11—सी—FP/UP/Trans/144301/2021, लखनऊ, दिनांकः मार्च 29 ,2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त,
झांसी।

विषयः— जनपद—झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईड्रिल कालोनी सिविल लाइन, झांसी द्वारा 33/11 के0वी0एम0ई0एस0 बबीना 220 के0वी0 की नई विद्युत (डबल लाईन) के निर्माण कार्य में झांसी—ललितपुर मार्ग की प्रभावित 0.0555 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बबीना पन्ती के सेंधनी आरक्षित वन ब्लाकों की प्रभावित 2.448 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 2.5035 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 391 वृक्षों की शाखा तरासी की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्रांक—1991/11—सी—FP/UP/Trans/144301/2021, दिनांक 04.01.2022 एवं आपका पत्रांक—2801/33—1, दिनांक 22.03.2022

महोदय,

इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण के पश्चात आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.03.2022 के द्वारा विषयगत प्रकरण का संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसमें परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्न कमी का आभाव पाया गयाः—

1. आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.03.2022 के विषय एवं प्रस्ताव में संलग्न अधिकांश प्रमाण पत्रों में 391 वृक्षों अथवा कुछ वृक्षों की शाखा तराशी का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रस्ताव के पृष्ठ सं0—21 में संलग्न सूची में 391 वृक्षों में से 61 वृक्षों की शाखा तराशी का उल्लेख करते हुये ऑनलाइन भाग—2 के क्रमांक—4(ii) में 61 वृक्षों को अपलोड किया गया है, जोकि परस्पर विरोधाभाष है।

   अतः इस विषमता को दूर करते हुये सही शाखा तराशी किये जाने वाले वृक्षों की सं0 का उल्लेख प्रस्ताव के समस्त प्रमाण पत्रों में करते हुये संलग्न करें तथा संशोधित प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन भाग—2 में भी अपलोड करें एवं त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन से डिलिट करें।

2. उपरोक्त इंगित कमी का निराकरण करते हुये संशोधित प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

   अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 2739/11—सी—FP/UP/Trans/144301/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड, हाईड्रिल कालोनी सिविल लाइन, झांसी।

(हस्ताक्षर)

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-326